

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 28 अगस्त, 2018

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11542/श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0(बी एच: 85), प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना) दिनांक 31.08.2018 के अपराहन से अगले आदेश तक प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना और क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्काडा, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-11541 दिनांक 28.08.2018 के आलोक में श्री त्रिपुरारि शरण को प्रदत्त प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था दिनांक 31.08.2018 के अपराहन तक ही प्रभावी रहेगी।

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11543/श्री आर0 के0 महाजन, भा0प्र0से0(बी एच: 87), प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी) दिनांक 31.08.2018 के अपराहन से अगले आदेश तक प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।


संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11544/श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0(बी एच: 90), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना दिनांक 31.08.2018 के अपराहन से अगले आदेश तक प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना और राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11545/श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0(बी एच: 96), आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना (अतिरिक्त प्रभार-महानिदेशक, अभियोजन/अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11546/श्री रॉबर्ट एल0 चोंग्थू, भा0प्र0से0(बी एच: 97), सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11547/श्री मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0(बी एच: 2011), कारा महानिरीक्षक, गृह विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक महानिदेशक, अभियोजन, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
28.8.18  
(कन्हैया लाल साह)


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11547/पटना-15, दिनांक: 28 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.) बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर

सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सीडी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06 एवं 19 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 (1) के तहत श्री आनन्द किशोर के पदस्थापन से संबंधित पद-अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से भा0प्र0से0 के सचिव स्तर के समतुल्य घोषित किया जाता है।

  
28.8.18  
सरकार के अवर सचिव।